"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक एफ 7-19/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवाशीष बैनर्जी, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, रायपुर को दिनांक 18-05-2015 से 01-06-2015 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16-17 मई 2015 का पूर्ववर्ती एवं 02 जून 2015 के पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के साथ अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बैनर्जी, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

3. अवकाश अवधि में श्री बैनर्जी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बैनर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. एल. आदिले,** उप-सचिव.

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्रमांक एफ 9-9/2012/25-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2012 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 9300-34,800 एवं ग्रेड पे 4400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाकर कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर में पदस्थ करता है :—

| स. क्र. | लोक सेवा आयोग की सूची का वरीयता क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 1 | श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,<br>आत्मज श्री चंद्रमणि पाण्डेय,<br>हल्बाकोट मिडिल स्कूल के पीछे, विवेकानंद वार्ड-30,<br>हाटकचौरा, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)<br>पिनकोड 494001 | अनारक्षित |
| 2. | 2 | श्री उमेश कुमार गुप्ता,<br>आत्मज श्री बनवारी लाल गुप्ता,<br>कृष्ण नगर बेलगहना, ग्राम+पोस्ट-बेलगहना,<br>जिला-बिलासपुर (छ.ग.)<br>पिनकोड-495116 | अनारक्षित |
| 3. | 3 | श्री मनीष साहू,<br>आत्मज श्री ओम हरे साहू,<br>सुभाष वार्ड, मकान नं.-3/208, भाटापारा,<br>जिला-भाटापारा-बलौदाबाजार (छ.ग.)<br>पिनकोड-493118 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 4. | 4 | श्री भानू प्रताप चुरेन्द्र,<br>आत्मज श्री रिती राम चुरेन्द्र,<br>जेल लाईन, केन्द्रीय जेल जगदलपुर,<br>जिला-बस्तर (छ.ग.)<br>पिनकोड-494001 | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 5. | 5 | श्री संदीप शाह पोयाम,<br>आत्मज श्री अम्बिका प्रसाद सांडिल्य,<br>मिशन चौक, जैन बेकरी गली, इंदिरा गांधी वार्ड क्र. 14,<br>अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)<br>पिनकोड-497001 | अ.ज.जा. |

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

5. अभ्यर्थी का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

6. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

7. अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा आयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

8. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

9. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

10. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

11. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक/19-19/2014/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 83 (4) के प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण हेतु दो सदस्यों के पद सृजन की सहमति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

| क्र. | पदनाम | संख्या | वेतनमान | योग्यता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सदस्य | 01 | राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी (अतिरिक्त कलेक्टर) के समकक्ष | राज्य सिविल सेवा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रेणी के बराबर |
| 2. | सदस्य | 01 | —तदैव— | मुस्लिम विधि एवं मुस्लिम धर्मशास्त्र का ज्ञाता होगा. |

1. उपरोक्त व्यय मांग संख्या 66-2225-आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास 5482 वक्फ न्यायाधीकरण का गठन 01 वेतन तथा भत्ते 001 वेतन मदान्तर्गत विकलनीय होगा.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक/एफ 2015-25-00430/बी.3/चार, दिनांक 10-02-2015 एवं एफ 2015-25-00514/बी.3/चार, दिनांक 20-04-2015 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमृता बेक,** उप-सचिव.

# आवास एवं पर्यावरण विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 1-15/2015/32.—यत: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 380 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2015 के द्वारा राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित निर्देश हैं :—

1. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी.

2. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे.

2. और यत: उक्त अधिसूचना में उल्लेखित उपर्युक्त निर्देशों के पालन में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2014/32 दिनांक 19-03-2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के लिए दायित्वों एवं कर्त्तव्य के सम्यक निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सचिवालय के रूप में अधिसूचित किया गया है;

3. और यत: पर्यावरण अनुमति संबंधी प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकों का आयोजन, कार्यसूची कार्यवाही विवरण, समिति की अनुशंसाओं के अनुसार प्रसारित किये जाने वाले आदेश आदि की कार्यवाही के लिए कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वेतन एवं भत्तों तथा अध्यक्ष तथा सदस्यों के बैठक की फीस और यात्रा-भत्ता/महंगाई भत्ता आदि के व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल को दिये जाने वाले अनुदान के अंतर्गत किया जाता है इससे राज्य शासन पर वित्तीय भार पड़ता है ;

4. और यत: उक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु महाराष्ट्र शासन, झारखण्ड शासन एवं कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की छानबीन इत्यादि हेतु परीक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण किया है ;

5. अतएव राज्य शासन द्वारा उपरोक्त स्थिति पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों की छानबीन इत्यादि हेतु निम्नानुसार परीक्षण शुल्क की दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :—

**कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट/एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट**

| क्र. | निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र | प्रक्रिया शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | 50,000 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हेक्टेयर तक विकास क्षेत्र | 50,000 |
| 2. | 50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हेक्टेयर से ज्यादा और 100 हेक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र. | 1,00,000 |
| 3. | 1,00,000 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हेक्टेयर से ज्यादा और 150 हेक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र. | 1,50,000 |
| 4. | 1,50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हेक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र. | 2,00,000 |

**औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएं**

| क्र. | परियोजना में कुल पूंजी निवेश (रुपये में) | प्रक्रिया शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | 25 करोड़ तक | 50,000 |
| 2. | 25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के भीतर | 75,000 |
| 3. | 50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के भीतर | 1,00,000 |
| 4. | 100 करोड़ से ज्यादा | 1,25,000 |

**प्रमुख खनिज उत्खनन ( मेजर मिनरल माईनिंग )**

| क्र. | माईनिंग लीज क्षेत्र | प्रक्रिया शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | 05 हेक्टेयर तक | 10,000 |
| 2. | 05 हेक्टेयर से ज्यादा और 25 हेक्टेयर के भीतर | 25,000 |
| 3. | 25 हेक्टेयर से ज्यादा | 50,000 |

**गौंण खनिज उत्खनन ( माईनर मिनरल माईनिंग )**

| क्र. | माईनिंग लीज क्षेत्र | प्रक्रिया शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | 05 हेक्टेयर तक | 5,000 |
| 2. | 05 हेक्टेयर से ज्यादा और 25 हेक्टेयर के भीतर | 20,000 |
| 3. | 25 हेक्टेयर से ज्यादा | 50,000 |

6. आवेदक द्वारा परीक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा. बैंक ड्राफ्ट State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh के पक्ष में रायपुर में भुगतेय होगा.

7. State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh के नाम से किसी नेशनल बैंक में एक सेविंग बैंक एकाउंट खोला जाएगा. इस खाते का संचालन प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा प्राधिकरण को प्राप्त परीक्षण शुल्क आदि की राशि इसी बैंक खाते में रखी जायेगी. प्राधिकार को प्राप्त परीक्षण शुल्क से छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के कार्यों के व्यय का वहन किया जायेगा.

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संजय शुक्ला,** सचिव.

---

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | कुरूद | खपरी प.ह. नं. 13 | 0.18 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी. | सेतु एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | कुरूद | जरवायडीह प.ह. नं. 13 | 0.36 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.) | सेतु एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | कुरूद | कुण्डेल प.ह. नं. 10 | 0.38 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी. | नागदेव नाला के हरदी की ओर पहुंचमार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | मगरलोड | मारागांव | 0.69 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.) | मारागांव - काजनसरा - गरियाबंद मार्ग के सेतु निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | मगरलोड | सरईभदर | 1.46 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.) | सरईभदर, जड़जड़ा मार्ग के पर सोंडुर नदी पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | बरबांधा प.ह. नं. 05 | 0.17 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | सिरौदकला प.ह. नं. 02 | 0.88 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | बनबगौद प.ह. नं. 02 | 0.82 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | कुकरेल प.ह. नं. 03 | 1.00 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | सलौनी प.ह. नं. 01 | 1.08 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | साल्हेभाट प.ह. नं. 01 | 3.00 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2015

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | जरहाखार प.ह. नं. 02 | 5.28 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी, जिला-धमतरी. | फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भीम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक/1930/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरिया | मनेन्द्रगढ़ | परसगढ़ी | 1.51 | सहायक कार्यपालन अभियंता, (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मनेन्द्रगढ़. | द.पू.म.रे. बिलासपुर पाराडोल एवं मनेन्द्रगढ़ के बीच ग्राम परसगढ़ी में रेल्वे पुल क्रमांक 99 का निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. प्रकाश,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2015

क्रमांक 404/ख.लि./तीन-1/खुला क्षेत्र/2015.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत् जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

| क्र. | ग्राम का नाम | प.ह.नं. | तहसील | खसरा नं. | रकबा | भूमि प्रकार | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | अकोलडीह खपरी | 80/1 | आरंग | 241, 242, 245 | 0.809 हेक्टर | निजी | श्रीमती विनिताचंद सुमन को दिनांक 09-05-2003 से 08-05-2013 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप वर्तमान में रिक्त होने के कारण क्षेत्र खुला घोषित हेतु. |

**राम सिंह,**
कलेक्टर.

## कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 24 मार्च 2015

क्रमांक 465/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-विश्रामपुर/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विश्रामपुर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत विश्रामपुर में दिनांक 31-03-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

विश्रामपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

### अनुसूची

**विश्रामपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

**उत्तर में** : ग्राम गोरखनाथपुर एवं शिवनंदनपुर की उत्तरी सीमा तक.

**पूर्व में** : ग्राम जयनगर एवं शिवनंदनपुर की पूर्वी सीमा तक.

**दक्षिण में** : ग्राम डेडरी, हर्रीटिकरी तथा जयनगर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिम में** : ग्राम गोरखनाथपुर, केशवनगर तथा डेडरी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 465/T & CP/Ambikapur/DP-Vishrampur/2015.— Notice is hereby given that the existing land use map for Vishrampur Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 31-03-2015 during office hours in the offices of the Collector District Surajpur, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Vishrampur District Surajpur.

The limit of Vishrampur Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

**Limits of Vishrampur Planning Area**

NORTH : Village Gorakhnathpur and upto the Northern limit of Shivnandanpur.

EAST : Village Jainagar and upto the Eastern limit of Shivnandanpur.

SOUTH : Village Dedri, Harratikra and upto the Southern limit of Jainagar.

WEST : Village Gorakhnathpur, Keshavnagar and upto the Western limit of Dedri.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Raipur Chhattisgarh.

**विमल कुमार बगवैया,**
सहायक संचालक.

---

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
### बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/998.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/5837 रायपुर, दिनांक 17-12-2013 द्वारा श्री सोनित मेरिया तहसीलदार छुईखदान को कृषि उपज मण्डी समिति गंडई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला राजनांदगांव का ज्ञापन क्रमांक 2430/ज्ये.लि. 1/2015/दिनांक 30-04-2015 द्वारा नव पदस्थ तहसीलदार छुईखदान श्री बी. एल. साहू को कृषि उपज मंडी समिति गंडई का भारसाधक अधिकारी के लिए नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सोनित मेरिया तहसीलदार छुईखदान का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री बी. एल. साहू, तहसीलदार छुईखदान को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गंडई, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/1000.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/3313 रायपुर, दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री के. डी. वैष्णव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला महासमुन्द का ज्ञापन क्रमांक 2428/319/40/आ.अ.ऊ.शा./2015-16 दिनांक 29-04-2015 द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. डी. वैष्णव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा के स्थान पर श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पिथौरा जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**सी. आर. प्रसन्ना,**
प्रबंध संचालक.

---

## कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कोण्डागांव, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक/287/कले./भू.अ.शा./रा.नि. हल्का पु./2015.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं धनंजय देवांगन, कलेक्टर जिला कोण्डागांव एतद्द्वारा तहसील कोण्डागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल एवं बड़ेराजपुर में दो पंचायतों के लिये एक पटवारी हल्का बनाने की शासन नीति के आधार पर निम्नानुसार पटवारी हल्कों का पुनर्गठन करता हूं.

### सूची

**नये पटवारी हल्का का पुनर्गठन संबंधी**

| क्र. | तहसील का नाम | पटवारी हल्का का नाम | पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम व आश्रित ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | कोण्डागांव | 1 केजंग | 1. केजंग | केजंग |
| 2. | | | | मूंगवाल |
| 3. | | | 2. नरिहा | नरिहा |
| 4. | | | | पेरमापाल |
| 5. | | 2. बयानार | 1. बयानार | बयानार |
| 6. | | | | जोगीआलवाड़ |
| 7. | | | | कोरहोबेड़ा |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 8. | | | 2. रेंगागोंदी | रेंगागोंदी |
| 9. | | | | बड़को |
| 10. | | | | मड़ानार |
| 11. | | 3. चिमड़ी | 1. चिमड़ी | चिमड़ी |
| 12. | | | | चलका |
| 13. | | | 2. टेमरूगांव | टेमरूगांव |
| 14. | | | | चेरंग |
| 15. | | 4. बांसगांव | 1. बांसगांव | बांसगांव |
| 16. | | | 2. मड़ागांव | मड़ागांव |
| 17. | | | | बावड़ी |
| 18. | | | | तोड़म |
| 19. | | 5. पाला | 1. पाला | पाला |
| 20. | | | | नुगाली |
| 21. | | | 2. कोंगेरा | कोंगेरा |
| 22. | | | | तेलंगा |
| 23. | | 6. किबईबालेंगा | 1. किबईबालेंगा | किबईबालेंगा |
| 24. | | | | कोकोड़ी |
| 25. | | | 2. चौड़ंग | चौड़ंग |
| 26. | | | | कोदागांव |
| 27. | | 7. मालाकोट | 1. मालाकोट | मालाकोट |
| 28. | | 8. बुनागांव | 1. बुनागांव | बुनागांव |
| 29. | | | | गुलभा |
| 30. | | | 2. बनजुगानी | बनजुगानी |
| 31. | | | | कराठीआलवाड़ |
| 32. | | 9. उमरगांव 'अ' | 1. उमरगांव 'अ' | उमरगांव 'अ' |
| 33. | | | | बनसिरसी |
| 34. | | | | केवटी |
| 35. | | | | दाड़िया |
| 36. | | | 2. चिचडोंगरी | चिचडोंगरी |
| 37. | | | | मथनीबेड़ा |
| 38. | | | | कोटेलबेड़ा |
| 39. | | | | सिरसी बेड़ा |
| 40. | | 10 मसोरा | 1. मसोरा | मसोरा |
| 41. | | | 2. भिरागांव 'ब' | भिरागांव 'ब' |
| 42. | | | | देवखरगांव |
| 43. | | 11 गिरोला | 1. गिरोला | गिरोला |
| 44. | | | 2. सातगांव | सातगांव |
| 45. | | 12 पल्ली | 1. पल्ली | पल्ली |
| 46. | | | 2. भोगाड़ी | भोगाड़ी |
| 47. | | | | मरवाबेड़ा |
| 48. | | 13 चिलपुटी | 1. चिलपुटी | चिलपुटी |
| 49. | | | 2. सितली | सितली |
| 50. | | | | इंदागांव |
| 51. | | 14 डोंगरीगुड़ा | 1. डोंगरीगुड़ा | डोंगरीगुड़ा |
| 52. | | | 2. पलारी | पलारी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 53. | | 15 कोण्डागांव | 1. कुम्हारपारा (कोण्डागांव न.पा. में सम्मिलित) | कुम्हारपारा |
| 54. | | 16 सम्बलपुर | 1. सम्बलपुर | सम्बलपुर |
| 55. | | | 2. चिखलपुटी | चिखलपुटी |
| 56. | | | | दूधगांव |
| 57. | | | | चिचपोलंग |
| 58. | | 17 बम्हनी | 1. बम्हनी | बम्हनी |
| 59. | | | | कारसिंग |
| 60. | | | 2. इसलनार | इसलनार |
| 61. | | | | धनसूली |
| 62. | | | | चमाई |
| 63. | | 18 बनियागांव | 1. बनियागांव | बनियागांव |
| 64. | | | 2. कुसमा | कुसमा |
| 65. | | | | कचोरा |
| 66. | | 19 कोकोड़ी | 1. कोकोड़ी | कोकोड़ी |
| 67. | | | 2. बोलबोला | बोलबोला |
| 68. | | | | जरेबेन्दरी |
| 69. | | | | छोटेबंजोड़ा |
| 70. | | 27 करंजी | 1. करंजी | करंजी |
| 71. | | | 2. बाखरा | बाखरा |
| 72. | | 29 राजागांव | 1. राजागांव | राजागांव |
| 73. | | | 2. कुकाड़गारकापाल | कुकाड़गारकापाल |
| 74. | | 30 दहिकोंगा | 1. दहिकोंगा | दहिकोंगा |
| 75. | | 31 जोबा | 1. जोबा | जोबा |
| 76. | | | | बड़ेउसरी |
| 77. | | | 2. सुकूरपाल | सुकूरपाल |
| 78. | | 32 माकड़ी | 1. माकड़ी | माकड़ी |
| 79. | | | | बनउसरी |
| 80. | | | 2. घोड़ागांव | घोड़ागांव |
| 81. | | 20 बफना | 1. बफना | बफना |
| 82. | | | | फरसगांव |
| 83. | | | 2. बड़ेभिरावण्ड | बड़ेभिरावण्ड |
| 84. | | 21 मुलमूला | 1. मुलमूला | मुलमूला |
| 85. | | | | धनपुर |
| 86. | | | 2. नेवता | नेवता |
| 87. | | | | लेमड़ी |
| 88. | | 22 सिंगनपुर | 1. सिंगनपुर | सिंगनपुर |
| 89. | | | | डोंगरसिलाटी |
| 90. | | | 2. फूकागिरोला | फूकागिरोला |
| 91. | | | | बड़ेसिलाटी |
| 92. | | 23 मालगांव | 1. मालगांव | मालगांव |
| 93. | | | 2. भिरागांव 'अ' | भिरागांव 'अ' |
| 94. | | | | सिदावण्ड |
| 95. | | 24 चिपावण्ड | 1. चिपावण्ड | चिपावण्ड |
| 96. | | | | काकड़ाबेड़ा |
| 97. | | | 2. भगदेवा | भगदेवा |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 98. | | 25 उमरगांव 'ब' | 1. उमरगांव 'ब' | उमरगांव 'ब' |
| 99. | | | | कुलझर |
| 100. | | | 2. निलजी | निलजी |
| 101. | | | | कतावण्ड |
| 102. | | 26 बड़ेबेंदरी | 1. बड़ेबेंदरी | बड़ेबेंदरी |
| 103. | | | 2. छोटेभिरावण्ड | छोटेभिरावण्ड |
| 104. | | | | लखनपुरी |
| 105. | | 28 बड़ेकनेरा | 1. बड़ेकनेरा | बड़ेकनेरा |
| 106. | | | 2. कमेला | कमेला |
| 107. | | 33 मोहलई | 1. मोहलई | मोहलई |
| 108. | | | 2. करनपुर | करनपुर |
| 109. | | | | हिरामांदला |
| 110. | | 34 मुनगापदर | 1. मुनगापदर | मुनगापदर |
| 111. | | | | मेड़पाल |
| 112. | | | 2. पुसावण्ड | पुसावण्ड |
| 113. | | | | काकड़गांव |
| 114. | | 35 बड़ेबंजोड़ा | 1. बड़ेबंजोड़ा | बड़ेबंजोड़ा |
| 115. | | | 2. बोटीकनेरा | बोटीकनेरा |
| 116. | | 36 सोनाबाल | 1. सोनाबाल | सोनाबाल |
| 117. | | | 2. मड़ानार | मड़ानार |
| 118. | | | | नगरी |
| 119. | | 37 पोलंग | 1. पोलंग | पोलंग |
| 120. | | | 2. खण्डाम | खण्डाम |
| 121. | | 38 बोरगांव | 1. बोरगांव | बोरगांव |
| 122. | | | | करियाकाटा |
| 123. | | | 2. झारा | झारा |
| 124. | | | | मयूरडोंगर |
| 125. | | 39 गोलावण्ड | 1. गोलावण्ड | गोलावण्ड |
| 126. | | | | बेतबेड़ा |
| 127. | | | | ढोलमांदरी |
| 128. | | | | तातरी |
| 129. | | | 2. खचगांव | खचगांव |
| 130. | | | | बालासार |
| 131. | | 40 हंगवा | 1. हंगवा | हंगवा |
| 132. | | | 2. तोतर | तोतर |
| 133. | | | | आमगांव |
| 134. | | 41 आदनार | 1. आदनार | आदनार |
| 135. | | | | चेमा |
| 136. | | | 2. छोटेउसरी | छोटेउसरी |
| 137. | | | | टिमेनार |
| 138. | | | | कोहकाड़ी |
| 139. | | 42 लखापुरी | 1. लखापुरी | लखापुरी |
| 140. | | | | एहरा |
| 141. | | | | छोटेकोडेर |
| 142. | | | 2. नाहकानार | नाहकानार |
| 143. | | | | मलनार |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 144. | | 43 मुलनार | 1. मूलनार | मूलनार |
| 145. | | | | गदनतराई |
| 146. | | | 2. नवागांव | नवागांव |
| 147. | | | | खोड़सानार |
| 148. | | | | पदेली |
| 149. | | 44 मर्दापाल | 1. मर्दापाल | मर्दापाल |
| 150. | | | | चांगेर |
| 151. | | | 2. रानापाल | रानापाल |
| 152. | | | | एरन्डवाल |
| 153. | | 45 हड़ेली | 1. हड़ेली | हड़ेली |
| 154. | | | | एहकली |
| 155. | | | | हांदापाल |
| 156. | | | | मरकामपाल |
| 157. | | | 2. हथकली | हथकली |
| 158. | | | | हांसेल |
| 159. | | 46 कड़ेनार | 1. कड़ेनार | कड़ेनार |
| 160. | | | | मदोड़ा |
| 161. | | | 2. बेचा | बेचा |
| 162. | | | | कीलम |
| 163. | | 47 मटवाल | 1 मटवाल | मटवाल |
| 164. | | | | पदनार |
| 165. | | | 2. टेकापाल | टेकापाल |
| 166. | | | | मालम |
| 167. | | | | मंगवाल |
| 168. | | | | पुंगारपाल |
| 169. | | 48 कुधूर | 1 कुधूर | कुधूर |
| 170. | | | 2. तुमड़ीवाल | तुमड़ीवाल |
| 171. | | | | राकसमेटा |
| 172. | | 49 बड़ेकुरूसनार | 1. बड़ेकुरूसनार | बड़ेकुरूसनार |
| 173. | | | | छोटेकुरूसनार |
| 174. | | | 2. कांगा | कांगा |
| 175. | | | | मेड़पाल |
| 176. | | | | बादालूर |
| 177. | | 50 हसलनार | 1. हसलनार | हसलनार |
| 178. | | | 2. जोड़ेंगा | जोड़ेंगा |
| 179. | | | | पोहमार |
| 180. | | 51 पुसपाल | 1. पुसपाल | पुसपाल |
| 181. | | | 2. खड़पड़ी | खड़पड़ी |
| 182. | | | | परोदा |
| 183. | | | | आदवाल |
| 184. | | | | कोरमेल |
| | | **51** | **99** | **184** |
| 185. | फरसगांव | 1 चनियागांव | 1. चनियागांव | चनियागांव |
| 186. | | | 2. देवगांव | देवगांव |
| 187. | | | | जामगांव |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 188. | | 2 फुण्डेर | 1. फुण्डेर | फुण्डेर |
| 189. | | | | दावड़े |
| 190. | | | 2. बड़ेओड़ागांव | बड़ेओड़ागांव |
| 191. | | | | छोटेओड़ागांव |
| 192. | | 3 बाड़ागांव | 1. बाड़ागांव | बाड़ागांव |
| 193. | | | | तुर्की |
| 194. | | 4 हाटचपई | 1. हाटचपई | हाटचपई |
| 195. | | | | तोयापाल |
| 196. | | | 2. बोकराबेड़ा | बोकराबेड़ा |
| 197. | | | | कोण्डापखना |
| 198. | | 5 बंजोड़ा | 1. बंजोड़ा | बंजोड़ा |
| 199. | | | 2. छिन्दलीबेड़ा | छिन्दलीबेड़ा |
| 200. | | | | गवाड़ी |
| 201. | | 6 कोनगुड़ | 1. कोनगुड़ | कोनगुड़ |
| 202. | | 7 मोदे | 1. मोदे | मोदे |
| 203. | | | | मोदेबेड़मा |
| 204. | | | | कन्हारगांव |
| 205. | | | 2. कोकोड़ाजुगानार | कोकोड़ाजुगानार |
| 206. | | | | परोदा |
| 207. | | 8 बड़गई | 1. बड़गई | बड़गई |
| 208. | | | | बारदा |
| 209. | | 9 उरन्दाबेड़ा | 1. उरन्दाबेड़ा | उरन्दाबेड़ा |
| 210. | | | | नेट |
| 211. | | | 2. आमगांव | आमगांव |
| 212. | | | | कुलानार |
| 213. | | | | कोलंगा |
| 214. | | 10 कोटपाड़ | 1. कोटपाड़ | कोटपाड़ |
| 215. | | | | मड़कड़ा |
| 216. | | | | मादागांव |
| 217. | | | 2. गोड़मा | गोड़मा |
| 218. | | | | कोरई |
| 219. | | | | तोरण्ड |
| 220. | | | | बोथा |
| 221. | | 11 पावड़ा | 1. पावड़ा | पावड़ा |
| 222. | | | | खण्डसरा |
| 223. | | | 2. झाकरी | झाकरी |
| 224. | | | | आदवाल |
| 225. | | | | मिसरी |
| 226. | | | 1. गोहड़ा | गोहड़ा |
| 267. | | 25 पाण्डेआठगांव | 1. पाण्डेआठगांव | पाण्डेआठगांव |
| 268. | | | 2. गट्टीपलना | गट्टीपलना |
| 269. | | | | जुंगदई |
| 270. | | 26 मोहलई | 1. मोहलई | मोहलई |
| 271. | | | | चांदाबेलगांव |
| 272. | | | 2. चांदागांव | चांदागांव |
| 273. | | 27 भण्डारसिवनी | 1. भण्डारसिवनी | भण्डारसिवनी |
| 274. | | | 2. चरकई | चरकई |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 275. | | 28 कुल्हाड़गांव | 1. कुल्हाड़गांव | कुल्हाड़गांव |
| 276. | | | | सारबेड़ा |
| 277. | | | 2. जुगानीकलार | जुगानीकलार |
| 278. | | 29 भानपुरी | 1. भानपुरी | भानपुरी |
| 279. | | | 2. हिर्री | हिर्री |
| 280. | | 30 लंजोड़ा | 1. लंजोड़ा | लंजोड़ा |
| 281. | | | 2. सिरपुर | सिरपुर |
| 282. | | | | गुमड़ी |
| 283. | | 31 सोड़मा | 1. सोड़मा | सोड़मा |
| 284. | | | | कारागांव |
| 285. | | 32 कुम्हारबड़गांव | 1. कुम्हारबड़गांव | कुम्हारबड़गांव |
| 286. | | | 2. सिरसीकलार | सिरसीकलार |
| 287. | | 33 जैतपुरी | 1. जैतपुरी | जैतपुरी |
| 288. | | | 2. कबोंगा | कबोंगा |
| 289. | | | | कोसागांव |
| | | **33** | **59** | **105** |
| 290. | माकड़ी | 1 बरकई | 1. बरकई | बरकई |
| 291. | | | | नालाझर |
| 292. | | | 2. सोनाबेड़ा | सोनाबेड़ा |
| 293. | | 2 पुसापाल | 1. पुसापाल | पुसापाल |
| 294. | | | | कोटवेल |
| 295. | | | 2. गुहाबोरण्ड | गुहाबोरण्ड |
| 296. | | | | देवडोंगर |
| 297. | | 3 रांधना | 1. रांधना | रांधना |
| 298. | | | | देवहरदूली |
| 299. | | | 2. भीरागांव | भीरागांव |
| 300. | | | | भाठगांव |
| 301. | | 4 तारगांव | 1. तारगांव | तारगांव |
| 302. | | | | कोसाहरदूली |
| 303. | | | 2. कोकोड़ी | कोकोड़ी |
| 304. | | 5 ओण्डरी | 1. ओण्डरी | ओण्डरी |
| 305. | | | 2. ठेमगांव | ठेमगांव |
| 306. | | 6 गारे | 1. गारे | गारे |
| 307. | | | 2. उदेंगा | उदेंगा |
| 308. | | | | जड़कोंगा |
| 309. | | 7 बालोण्ड | 1. बालोण्ड | बालोण्ड |
| 310. | | | 2. हूक्काबेड़ापाथरी | हूक्काबेड़ापाथरी |
| 311. | | | | बिवला |
| 312. | | 8 मांझीबोरण्ड | 1. मांझीबोरण्ड | मांझीबोरण्ड |
| 313. | | | | बाडरा |
| 314. | | | 2. केरावाही | केरावाही |
| 315. | | 9 शामपुर | 1. शामपुर | शामपुर |
| 316. | | | 2. मारागांव | मारागांव |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 317. | | 10 काटागांव | 1. काटागांव | काटागांव |
| 318. | | | 2. लभा | लभा |
| 319. | | | | दण्डवन |
| 320. | | 11 बुडरा | 1. बुडरा | बुडरा |
| 321. | | | | टेड़मुंडा |
| 322. | | | 2. हाड़ीगांव | हाड़ीगांव |
| 323. | | | | बड़गांव |
| 324. | | 12 बवई | 1. बवई | बवई |
| 325. | | | 2. छोटेसलना | छोटेसलना |
| 326. | | 13 कावरा | 1. कावरा | कावरा |
| 327. | | | 2. करमरी | करमरी |
| 328. | | 14 माकड़ी | 1. माकड़ी | माकड़ी |
| 329. | | | | भिरण्डा |
| 330. | | | 2. उमरगांव | उमरगांव |
| 331. | | | | बेलगांव |
| 332. | | 15 लुभा | 1. लुभा | लुभा |
| 333. | | | | संडसा |
| 334. | | | 2. सोड़सिवनी | सोड़सिवनी |
| 335. | | | | तितना |
| 336. | | 16 उलेरा | 1. उलेरा | उलेरा |
| 337. | | | 2. बागबेड़ा | बागबेड़ा |
| 338. | | | | खुड़ी |
| 339. | | 17 मगेदा | 1. मगेदा | मगेदा |
| 340. | | | | भतवा |
| 341. | | | 2. ओटेण्डा | ओटेण्डा |
| 342. | | 18 जरण्डी | 1. जरण्डी | जरण्डी |
| 343. | | | 2. पीढ़ापाल | पीढ़ापाल |
| 344. | | | | अंरगुला |
| 345. | | 19 धारली | 1. धारली | धारली |
| 346. | | | | जोंधरा |
| 347. | | | 2. उड़िदगांव | उड़िदगांव |
| 348. | | 20 सोड़मा | 1. सोड़मा | सोड़मा |
| 349. | | | | बालेंगा |
| 350. | | | 2. इंगरा | इंगरा |
| 351. | | 21 हिरापुर | 1. हिरापुर | हिरापुर |
| 352. | | | 2. कुरलूबहार | कुरलूबहार |
| 353. | | | | मिरमिंडा |
| 354. | | 22 तौरेंगा | 1. तौरेंगा | तौरेंगा |
| 355. | | | 2. हिरावण्डी | हिरावण्डी |
| 356. | | 23 तोरण्डी | 1. तोरण्डी | तोरण्डी |
| 357. | | | 2. राकसबेड़ा | राकसबेड़ा |
| 358. | | | | राकसबेड़ा |
| 359. | | | | सोहंगा |
| 360. | | 24 एरला | 1. एरला | एरला |
| 361. | | | | गागड़ा |
| 362. | | | | गुमड़ी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 363. | | | 2. बेलोण्डी | बेलोण्डी |
| 364. | | | | सिवनी |
| 365. | | 25 तमरावण्ड | 1. तमरावण्ड | तमरावण्ड |
| 366. | | | | देवगांव |
| 367. | | | 2. करण्डी | करण्डी |
| 368. | | 26 अनतपुर | 1. अनतपुर | अनतपुर |
| 369. | | | 2. बड़ेसोहंगा | बड़ेसोहंगा |
| 370. | | | | छोटेसोहंगा |
| 371. | | | | बेड़ागांव |
| 372. | | 27 बीजापुर | 1. बीजापुर | बीजापुर |
| 373. | | | | हिरलाभाट |
| 374. | | | 2. अमरावती | अमरावती |
| 375. | | | | बड़ेअमरावती |
| 376. | | | | छोटेअमरावती |
| 377. | | 28 बड़ेघोड़सोड़ा | 1. बड़ेघोड़सोड़ा | बड़ेघोड़सोड़ा |
| 378. | | | | छोटेघोड़सोड़ा |
| 379. | | | 2. बिंजोली | बिंजोली |
| 380. | | 29 बेलगांव | 1. बेलगांव | बेलगांव |
| 381. | | | | देउरबाल |
| 382. | | | 2. ओण्डारगांव | ओण्डारगांव |
| 383. | | | | तुर्रेबेड़ा |
| 384. | | | | तरईबेड़ा |
| 385. | | | | तुमबेड़ा |
| 386. | | 30 छिनारी | 1. छिनारी | छिनारी |
| 387. | | | | नेवरा |
| 388. | | | 2. छतोड़ी | छतोड़ी |
| 389. | | | | किरमारी |
| | | **30** | **60** | **100** |
| 390. | केशकाल | 1 ईरागांव | 1. ईरागांव | ईरागांव |
| 391. | | | 2. डुण्डाबेड़मा | डुण्डाबेड़मा |
| 392. | | | | उमला |
| 393. | | 2 चुरेगांव | 1. चुरेगांव | चुरेगांव |
| 394. | | | | कावागांव |
| 395. | | | | सवालवाही |
| 396. | | | 2. कलेपाल | कलेपाल |
| 397. | | | | पराली |
| 398. | | | | बुईकीजुगानार |
| 399. | | 3 बिन्झे | 1. बिन्झे | बिन्झे |
| 400. | | | 2. कानागांव | कानागांव |
| 401. | | | | कोरगांव |
| 402. | | 4 बड़ेखौली | 1. बड़ेखौली | बड़ेखौली |
| 403. | | | | बिटालखौली |
| 404. | | | | पड्डे |
| 405. | | | 2. तोड़ासी | तोड़ासी |
| 406. | | | | गद्दाड़ |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 407. | | 5 करमरी | 1. करमरी | करमरी |
| 408. | | | | बेलगांव |
| 409. | | | 2. हिचका | हिचका |
| 410. | | | | तिमड़ी |
| 411. | | | | कोठोड़ी |
| 412. | | 6 धनोरा | 1. धनोरा | धनोरा |
| 413. | | 7 कर्रारमेटा | 1. कर्रारमेटा | कर्रारमेटा |
| 414. | | | | भाटगांव |
| 415. | | | 2. कोरकोटी | कोरकोटी |
| 416. | | | | बदवर |
| 417. | | | | खालेबेदी |
| 418. | | | | चुड़ावा |
| 419. | | 8 सवाला | 1. सवाला | सवाला |
| 420. | | | 2. बनियागांव | बनियागांव |
| 421. | | | | सिलाटी |
| 422. | | 9 कुंए | 1. कुएं | कुंए |
| 423. | | | | भण्डारपाल |
| 424. | | | | मिड़दे |
| 425. | | | | माड़गांव |
| 426. | | | | कुमूड़ |
| 427. | | | | कुदाड़वाही |
| 428. | | | | चेरबेड़ा |
| 429. | | | 2. रावबेड़ा | रावबेड़ा |
| 430. | | | | बेड़मामारी |
| 431. | | | | उपरचंदेली |
| 432. | | | | उपरबेदी |
| 433. | | | | बावनीमारी |
| 434. | | | | गिरगोली |
| 435. | | | | तुतारी |
| 436. | | 10 होनहेड़ | 1. होनहेड़ | होनहेड़ |
| 437. | | | | कूपागोंदी |
| 438. | | | | घोड़झार |
| 439. | | | | सेन्दूरमेटा |
| 440. | | | | उपरमुरमेण्ड |
| 441. | | | | खालेचंदेली |
| 442. | | | | मातेंगा |
| 443. | | | | उमरादाह |
| 444. | | 15 अड़ेंगा | 1. अड़ेंगा | अड़ेंगा |
| 445. | | | 2. प्रधानचेर्रा | प्रधानचेर्रा |
| 446. | | | | सिवनीपाल |
| 447. | | | | जरण्डी |
| 448. | | 19 सिंगनपुर | 1. सिंगनपुर | सिंगनपुर |
| 449. | | | 2. आंवरी | आंवरी |
| 450. | | 20 निराछिन्दली | 1. निराछिन्दली | निराछिन्दली |
| 451. | | | 2. उन्दरी | उन्दरी |
| 452. | | | | नारना |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 453. | | 21 सिकागांव | 1. सिकागांव | सिकागांव |
| 454. | | | | सालेभाट |
| 455. | | | 2. गारावण्डी | गारावण्डी |
| 456. | | 11 खालेमुरमेण्ड | 1. खालेमुरमेण्ड | खालेमुरमेण्ड |
| 457. | | | | ढोंढेरापाल |
| 458. | | | | मूरनार |
| 459. | | | | कुकड़ादाह |
| 460. | | 12 सालेभाट | 1. सालेभाट | सालेभाट |
| 461. | | | | हरवेल |
| 462. | | | 2. चिपरेल | चिपरेल |
| 463. | | | | दादरगढ़ |
| 464. | | | | माहुरबेड़ा |
| 465. | | 13 सुरडोंगर | 1. सुरडोंगर (न.पं. में सम्मिलित) | सुरडोंगर |
| 466. | | | | गौरगांव |
| 467. | | 14 कोहकामेटा | 1. कोहकामेटा | कोहकामेटा |
| 468. | | | | नालाझर |
| 469. | | | 2. सिदावण्ड | सिदावण्ड |
| 470. | | | | मांझीचेरा |
| 471. | | | | हलिया |
| 472. | | 16 जामगांव | 1. जामगांव | जामगांव |
| 473. | | | 2. कोदोभाट | कोदोभाट |
| 474. | | | | ब्यालपुर |
| 475. | | 17 केशकाल | 1. केशकाल (न.पं. में सम्मिलित) | केशकाल |
| 476. | | | | गढ़सिलियारा |
| 477. | | | | बोरगांव |
| 478. | | 18 बटराली | 1. बटराली | बटराली |
| 479. | | | | सरगीपाल |
| 480. | | | | गढ़धनोरा |
| 481. | | | | रांधना |
| 482. | | | | तुमुसकोनाड़ी |
| 483. | | 22 बेड़मा | 1. बेड़मा | बेड़मा |
| 484. | | | | आदनबेड़ा |
| 485. | | | 2. तोषकापाल | तोषकापाल |
| 486. | | 23 अरण्डी | 1. अरण्डी | अरण्डी |
| 487. | | | 2. चारभाटा | चारभाटा |
| 488. | | | | पलोरा |
| 489. | | 24 खेतरपाल | 1. खेतरपाल | खेतरपाल |
| 490. | | | 2. नयानार | नयानार |
| 491. | | | | हरवाकोड़ो |
| 492. | | | | नवागढ़ |
| 493. | | 25 बहीगांव | 1. बहीगांव | बहीगांव |
| 494. | | | 2. मस्सूकोकोड़ा | मस्सूकोकोड़ा |
| 495. | | 26 पीपरा | 1. पीपरा | पीपरा |
| 496. | | | 2. खुटपदर | खुटपदर |
| 497. | | 27 आंवराभाटा | 1. आंवराभाटा | आंवराभाटा |
| 498. | | | 2. बड़ेठेमली | बड़ेठेमली |
| | | **27** | **47** | **109** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 499. | बड़ेराजपुर | 1 कोरगांव | 1. कोरगांव | कोरगांव |
| 500. | | | 2. बैजनपुरी | बैजनपुरी |
| 501. | | | | आमागुहान |
| 502. | | 11 खजरावण्ड | 1. खजरावण्ड | खजरावण्ड |
| 503. | | | 2. सोनपुर | सोनपुर |
| 504. | | 15 हरवेल | 1. हरवेल | हरवेल |
| 505. | | | 2. धामनपुरी | धामनपुरी |
| 506. | | 16 बड़ेराजपुर | 1. बड़ेराजपुर | बड़ेराजपुर |
| 507. | | 17 टेंवसा | 1. टेंवसा | टेंवसा |
| 508. | | | 2. कलगांव | कलगांव |
| 509. | | 18 छोटेराजपुर | 1. छोटेराजपुर | छोटेराजपुर |
| 510. | | | | पाडोकी |
| 511. | | | 2. माड़ोकी | माड़ोकी |
| 512. | | | | खरगांव |
| 513. | | | | कलेपाल |
| 514. | | 19 कोपरा | 1. कोपरा | कोपरा |
| 515. | | | 2. छिन्दली | छिन्दली |
| 516. | | | | नौकाबेड़ा |
| 517. | | 20 बड़बत्तर | 1. बड़बत्तर | बड़बत्तर |
| 518. | | | 2. ढोंढरा | ढोंढरा |
| 519. | | 2 कोंगेरा | 1. कोंगेरा | कोंगेरा |
| 520. | | | 2. कोरहोबेड़ा | कोरहोबेड़ा |
| 521. | | 3 विश्रामपुरी | 1. विश्रामपुरी (न.पं. में सम्मिलित) | विश्रामपुरी (न.पं. में सम्मिलित) |
| 522. | | 4 खलारी | 1. खलारी | खलारी |
| 523. | | | 2. कोसमी | कोसमी |
| 524. | | | | गोविन्दपुर |
| 525. | | 5 पेन्ड्रावण्ड | 1. पेन्ड्रावण्ड | पेन्ड्रावण्ड |
| 526. | | | 2. पिटेचुआ | पिटेचुआ |
| 527. | | | | सरगीपाल |
| 528. | | 6 बाड़ागांव | 1. बाड़ागांव | बाड़ागांव |
| 529. | | | | कुरूभाट |
| 530. | | | | मानिकपुरी |
| 531. | | | 2. मचली | मचली |
| 532. | | | | उड़िदगांव |
| 533. | | 7 हात्मा | 1. हात्मा | हात्मा |
| 534. | | | 2. बस्तरबुडरा | बस्तरबुडरा |
| 535. | | 10 पारोण्ड | 1. पारोण्ड | पारोण्ड |
| 536. | | | | मैनपुर |
| 537. | | | 2. होनावण्डी | होनावण्डी |
| 538. | | 8 सलना | 1. सलना | सलना |
| 539. | | | 2. कौंदकेरा | कौंदकेरा |
| 540. | | | | छोटेमालगांव |
| 541. | | 9 पलना | 1. पलना | पलना |
| 542. | | | | चिचाड़ी |
| 543. | | | 2. मारंगपुरी | मारंगपुरी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 544. | | 12 लिहागांव | 1. लिहागांव | लिहागांव |
| 545. | | | 2. आमगांव | आमगांव |
| 546. | | 13 बांसकोट | 1. बांसकोट | बांसकोट |
| 547. | | 14 बालेंगा | 1. बालेंगा | बालेंगा |
| 548. | | | 2. किबड़ा | किबड़ा |
| 549. | | 21 तितरवण्ड | 1. तितरवण्ड | तितरवण्ड |
| 550. | | | | हल्दा |
| 551. | | | 2. पीढ़ापाल | पीढ़ापाल |
| 552. | | | | कुल्दाडीही |
| 553. | | 22 गम्हरी | 1. गम्हरी | गम्हरी |
| 554. | | | 2. जोड़ेकेरा | जोड़ेकेरा |
| 555. | | | | करमरी |
| | | **22** | **41** | **56** |
| | **महायोग** | **163** | **306** | **554** |

कुल पटवारी हल्का — 163,
कुल ग्राम पंचायत — 306,
राजस्व ग्राम — 554,
नगर पालिका परिषद् — 01,
नगर पंचायत — 03,

**धनंजय देवांगन,**
कलेक्टर.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th May 2015

No. 328/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

| S. No. (1) | Name & presently posted as (2) | From (3) | To (4) | Revenue District (5) | Posted as (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Prabhakar Gwal, III Civil Judge Class-I. | Raipur | Raipur | Raipur | III Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate. |
| 2. | Shri Kiran Kumar Jangade, Civil Judge Class-I. | Pratappur | Bijapur | Bijapur | Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Shri Mukesh Kumar Patre, Civil Judge Class-I. | Katghora | Narayanpur | Narayanpur | Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate. |

**Note :** The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक 85/दो-2-15/2002.—श्री अशोक कुमार पण्डा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर दिनांक 30-04-2015 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 मई 2015

क्रमांक 3807/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बचेली अपने घोषित कार्यस्थल बचेली के अतिरिक्त कोन्टा में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 3807/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II, Bacheli in addition to his declared place of sitting at Bacheli shall also sit at Konta for a week in every month.

Bilaspur, the 14th May 2015

No. 334/Confdl./2015/II-3-1/2015.—Shri Venseslas Toppo, Member of Lower Judicial Service, who is in the category of Senior Civil Judge and who has been posted on deputation as Officer-on-Special Duty in the Establishment of the High Court, is hereby appointed to the category of Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate on proforma basis, from the date he assumes charge of his post.

**Note :** The above officer shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless he completes five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 13th May 2015

No. 332/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt. III).—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Shri Arvind Singh Chandel, Member of Higher Judicial Service presently In-charge Registrar General as Registrar General in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAMASHANKAR, Additional Registrar (Judicial).